रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 128 ] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1998/चैत्र 30, 1920
No. 128] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1998/CHAITRA 30, 1920

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1998

सा. का. नि. 189 (अ):— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1998 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

3. पदावधि :—

कोई सदस्य, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा किन्तु वह तीन वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह कि कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इसमें जो भी पूर्वतर हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

4. वेतन :—

कोई सदस्य 22400-525-24500 रु. से अधिक के वेतनमान का हकदार नहीं होगा। वेतन अधिभावी आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा जो वेतन में से पेंशन को कम करते हुए होगा।

कोई सदस्य, उस दर से मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

सदस्यों को छुट्टी यात्रा रियायत, दौरे पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का संदाय उस अनुसार किया जाएगा, जो उक्त आधारिक वेतन लेने वाले सरकारी सेवक को लागू हो। वे केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अतिथि-गृह/निरीक्षण बंगला में अस्थाई सरकारी वास की सुविधा के, जहां लागू है, बहिर्स्थान पर सामान्य किराए के संदाय पर, उस श्रेणी के लिए हकदार होंगे जिसके समतुल्य वेतन के सरकारी सेवक पात्र हैं।

किसी सदस्य द्वारा विदेश में सरकारी निरीक्षण ऐसे सरकारी आदेशों द्वारा शासित होगा, जो भारत सरकार के समान श्रेणी के अधिकारी को लागू हैं।

कोई सरस्य, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम में उपविधित उन चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा जो किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को लागू हैं। उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है वहां वह केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियमों में उपबंधित प्रतिपूर्ति सुविधाओं का हकदार होगा।

5. छुट्टी :—

कोई सदस्य, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा। कोई व्यक्ति किसी भी समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण का हकदार होगा।

6. साधारण भविष्य निधि/अभिदायी भविष्य निधि, पेंशन और उपदान :—

कोई सदस्य अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होगा और साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन अभिदाय करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

7. पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता :—

ऐसे संगठनों की बाबत जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के काम-काज संबंधी अधिकारिता के भीतर आते हैं, सदस्य के पद छोड़ने के पश्चात् सदस्यों को दो वर्ष के लिए प्राइवेट नियोजन वर्जित होगा।

8. परिवहन :—

कोई सदस्य निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए उसकी निजी कार के प्रयोग और अनुरक्षण के लिए 3,000 रु. और 5,000 रु. प्रति माह के बीच ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो समय-समय पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियत की जाए। इसके अंतर्गत ड्राईवर का वेतन भी आता है, जो सरकारी सेवक नहीं होगा।

9. वास-सुविधा :—

कोई सदस्य, यदि वह दिल्ली में रूकता है तो लिए गए आधारिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ते का हकदार है। दिल्ली से बाहर वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग तीन सौ वर्गमीटर नाप के निर्मित क्षेत्र की भाड़े पर ली गई ऐसी असज्जित वास-सुविधा का, जो संबंधित नगर निकायों के विनियमों के अधीन अनुज्ञेय, संलग्न, समुचित खुली भूमि क्षेत्र के साथ होगी, हकदार होगा।

10. व्यावृत्ति :—

कोई ऐसा विषय, जिसका उपबंध इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में, केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[फा. सं. क्यू. 14011/1/97- सी. पी. डब्ल्यू.]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1998

**GSR 189 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 22 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (No. 22 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement:**—(1) These rules may be called the National Environment Appellate Authority (Salary, Allowances and Conditions of Service of Members) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :**—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Environment Appellate Authority Act, 1997;

(b) "Authority" means the National Environment Appellate Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(d) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Authority;

(e) "Member" means a Member of the Authority.

3. **Tenure :**

A Member shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office, but shall be eligible for re-appointment for another term of three years :

Provided that no Member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five whichever is earlier.

4. **Pay :**

A Member shall be entitled to a pay scale not exceeding Rs. 22400-525-24500/—. The pay will be fixed in accordance with prevailing orders that is pay minus pension.

(i) A Member shall be entitled to dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to the officers of equivalent level in the Central Government.

(ii) Leave Travel Concession, Travelling Allowance and Daily Allowance on tour, shall be paid to Members as applicable to the Government servant drawing that basic pay. They will also be entitled to facility of temporary Government accommodation in guest house/inspection bungalow run by the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at outstation, of the class to which Government servant of equivalent pay are eligible.

(iii) Official visits abroad by a Member shall be governed by Government's orders applicable to officer of equal grade in the Government of India.

(iv) A Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme (CGHS) as applicable to a retired Government servant. At places where the CGHS scheme is not in operation, he shall be entitled to reimbursement facilities provided under the Central Services (Medical Attendance) Rules.

5. **Leave :**

A Member would be entitled to 30 days of earned leave, for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. A person would be entitled to encashment of 50% of earned leave to his credit at any time.

6. **GPF/CPF, Pension and Gratuity :**

A Member would be governed by Contributory Provident Fund Rules and no option to subscribe under General Provident Fund Rules will be available. Additional pension and gratuity will not be admissible for service rendered in the Authority.

7. **Eligibility for Re-employment :**

There shall be bar on private employment of Members for two years in respect of organisations that fall within the operational jurisdiction of the National Environment Appellate Authority, after demitting office of Member.

IndiaCode

8. **Transport :**

A Member is eligible for reimbursement between Rs. 3000 and Rs. 5000 per month as fixed by Department of Personnel and Training, from time to time for the use and maintenance of his/her personal car for transportation between residence and office. This would include the salary of a driver who would not be a Government servant.

9. **Accommodation :**

A Member is entitled for House Rent Allowance at the rate of 30% of the basic pay drawn, if he/she stays in Delhi. Outside Delhi, he/she shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built up area measuring around 300 sq. meters in the National Capital Region (NCR) with suitable open land area appurtenant as permissible under the regulation of the concerned municipal bodies.

10. **Saving :**

Any matter, not expressly provided in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

[F.No. Q. 14011/1/97-CPW]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
P by C oller of Publications, Delhi-110054 — 1998.